

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कन्हैया लाल

बनाम

दुर्गा बाई

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 269/2025

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

6-6-25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती कन्हैया लाल

पिता श्री नारायण जी

निवासी- करणीभारा का खेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम श्री राम जी का खेड़ा

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....

537/8, 538/8, 9  
0.01, 0.02, 0.2650

कुल कीता 03 कुल रकबा 0.2950 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम श्री राम जी का खेड़ा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 537/8, 538/8, 9  
0.01, 0.02, 0.2650

कुल कीता 03 रकबा 0.2950 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500 रूपये अक्षरे पाप (6) मात्र प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देवस्य)

सहायक कलेक्टर एच  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)